दिनांक 16.11.2016 को अपरान्ह् में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के तहसील सदर के कृषि भवन में ''जिला औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत आयोजित बागवानी सेमिनार'' के किये गये औचक निरीक्षण की अभिलिखित टिप्पणी ।

द्वारा : जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16.11.2016 को अपरान्ह् में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील सदर स्थित कृषि भवन में ''जिला औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत आयोजित बागवानी सेमिनार'' का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री महेन्द्र बहादुर सिंह मुख्य विकास अधिकारी, श्री ए0के0 सिंह उप कृषि निदेशक, श्री डी0पी0 सिंह जिला कृषि अधिकारी, श्री रणविजय सिंह जिला उद्यान अधिकारी, श्री अजय सिंह जिला मत्स्य अधिकारी, प्रतापगढ़ उपस्थित रहे।

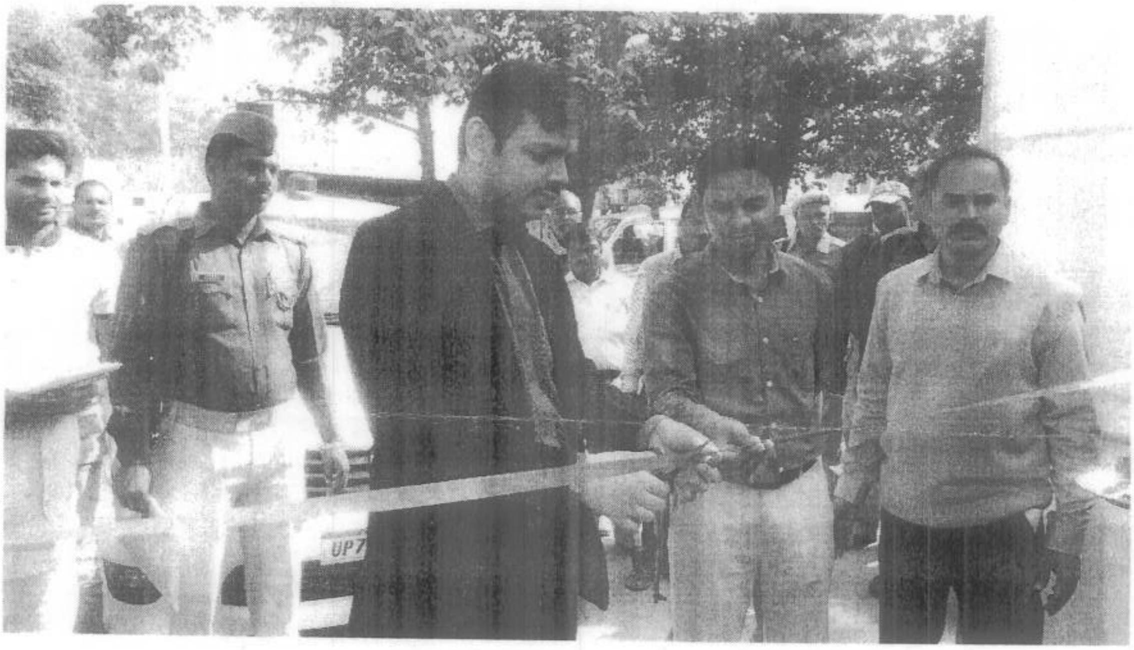

1. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त मेले में कृषि विभाग, उद्यान विभाग द्वारा अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित स्टॉल लगाये गये थे, जिनमें वर्तमान में उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सम्बन्धित सामग्री/विवरण रखे गये थे। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया गया कि स्वयं के पर्यवेक्षण में वर्तमान में कृषि विभाग, उद्यान विभाग व अन्य विभाग से संचालित योजनाओं के बारे में पर्याप्त प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें जिससे आम जनमानस उसका समुचित लाभ ले सके।

2. निरीक्षण के दौरान श्री शेष बहादुर सिंह, निवासी ग्राम थरिया, तहसील रानीगंज द्वारा इस आशय की शिकायत की गयी कि माह में एक बार आयोजित होने वाली बैठकों में जनपद के अधिकांश कृषकों को कृषि विभाग द्वारा समय व स्थान की सूचना नहीं दी जाती है जिससे उन्हें कृषि विभाग से सम्बन्धित विवरण की जानकारी नहीं मिल पाती है। इस सम्बन्ध में उप कृषि निदेशक, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि कृषि से सम्बन्धित माह में तृतीय बुधवार को आयोजित होने वाली बैठक के बारे में पर्याप्त प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें जिससे आम कृषकगण उक्त बैठक में उपस्थित हो सके।

3. निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में कृषकों से सम्बन्धित कतिपय विभागीय

————2

अधिकारियों यथा बिजली विभाग, नहर विभाग आदि के अधिकारी उपस्थित नहीं थे। इस सम्बन्ध में उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में जब भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जायें उनमें कृषकों से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों की उपस्थित निश्चित रूप से सुनिश्चित करायी जाये जिससे कृषकों द्वारा जो समस्याएं संज्ञान में लायी जायें उनका तत्काल निस्तारण हो सके।

4. निरीक्षण के दौरान श्री उमेश तिवारी, निवासी ग्राम सण्डवा खास, विकास खण्ड लक्ष्मणपुर द्वारा इस आशय की शिकायत की गयी कि पिछले कई माह से प्रतापगढ़ रजबहा ~~माइनर~~ में पानी नहीं आ रहा है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अपनी अपनी सुस्पष्ट आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपद में संचालित समस्त नहरों में रोस्टर के अनुसार पानी आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

5. निरीक्षण के दौरान श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी ग्राम अधारपुर, विकास खण्ड सण्डवा चन्द्रिका, तहसील सदर द्वारा इस आशय की शिकायत की गयी कि गत वर्ष में हुई अतिवृष्टि/ओलावृष्टि के कारण कृषकों के क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा अभी तक वितरित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करके कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के भीतर अवगत करायें।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

(डा0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

(11)

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

संख्या : 1563/शिविर–2016

दिनांक : नवम्बर 16, 2016

1. आयुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), प्रतापगढ़।
4. मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।
5. उप जिलाधिकारी सदर, प्रतापगढ़।
6. उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, प्रतापगढ़।
7. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी, प्रतापगढ़।
8. जिला मत्स्य अधिकारी/सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, प्रतापगढ़।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/अन्य समस्त सम्बन्धित, प्रतापगढ़।

जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।